न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–49/2022 विविध

सुखपाल सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. रमेशदेव, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सोहन सिंह पुत्र श्री सन्धूरा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. तहसीलदार (राजस्व), संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ हनुमानगढ़।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल किये जाने प्रकरण संख्या 11/2022, शीर्षक सोहन सिंह बनाम सुखपाल सिंह आदि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

उपस्थितः–1. श्री खुशप्रीत सिंह एडवोकेट–प्रार्थी।
2. श्री शिवराज सिंह खोसा, एडवोकेट–अप्रार्थी सं. 2।
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–10.10.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बअनवानी सोहन सिंह बनाम सुखपाल सिंह आदि, न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया के समक्ष पेश किया हुआ है।

अप्रार्थी सख्या 2 राजनैतिक पहुच वाला व्यक्ति है। पांच दिवस पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर मैं बैठा देखा जिसके उपरान्त उसी दिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को धमकी दी गई है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सख्या 1 से हमारी बात तय हो गई है, अब उक्त प्रार्थना पत्र में हम हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे तथा निर्णय उपरान्त आपकी कृषि भूमि में से जबरन रास्ता निकालेगे। प्रकरण में बहस होने से पूर्व ही तीन दिवस पूर्व अप्रार्थी सख्या 2 द्वारा प्रार्थी को अपने पक्ष में फैसला करवाने की धमकी देने के कारण प्रार्थी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। प्रार्थी को विचारणीय न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। श्रीमान न्यायालय की शरण के अलावा प्रार्थी के पास कोई चारा नहीं है, जिस कारण प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। विचारणीय न्यायालय के द्वारा अपने विधिक अधिकारों से बाहर जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया है कि विचारणीय न्यायालय से प्रार्थी का कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति

के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत मुन्तकिल के अन्तिम निस्तारण तक प्रकरण संख्या 11/2022 में आगामी कोई कार्यवाही या आदेश पारित नहीं करने से ममनू व बाज रहे। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व उपखण्डाधिकारी, संगरिया से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–01 में वर्णित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के समक्ष पेश होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है क्योंकि मुझ अप्रार्थी वृद्ध व बीमार व्यक्ति है जो चलने फिरने मे असमर्थ है, तो अप्रार्थी सं. के चैम्बर में बैठे होने के कथन स्वतः ही गलत साबित होते है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या–2 पर राजनीतिक पहुंच सम्बन्धी कथन मिथ्या किये हैं क्योंकि प्रार्थी स्वयं पूर्व में सरपंच रह चुका है, स्वयं अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 04 में वर्णित तथ्य प्रार्थना पत्र का आधार तैयार करने हेतु मिथ्या अंकित किये गये है। मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि रास्ते के अभाव में खाली पड़ी है जिससे प्रार्थी का जीवनयापन करना मुश्किल हो चुका है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया से प्राप्त टिप्पणी अनुसार प्रार्थना पत्र सं. 11/2022 सोहन सिंह बनाम सुखपाल सिंह आदि अन्तर्गत धारा 252–क आरटीएक्ट के तहत विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र में आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी में जवाब पर विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र मार्च 2022 में दर्ज हुआ जिसमें लगभग छः माह से अधिक समय व्यतित हो चुका है। प्रार्थी केवल मात्र अपने पक्ष में प्रार्थना पत्र निस्तारण करवाने के लिए मनगढंत तथ्य पेश किये है जिसका कोई आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या आधारों पर प्रकरण मुन्तकिल किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र 11/2022 सोहन सिंह बनाम सुखपाल सिंह अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है। अभी प्रार्थना पत्र का अन्तिम निस्तारण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर किया जावेगा। प्रार्थी ने मनगढंत तथ्य पेश किये है फिर भी माननीय न्यायालय जो आदेश पारित करे इस न्यायालय को ऐतराज नहीं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 02 ने यह धमकी दी है कि उसकी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से हमारी बात तय हो गई है, अब उक्त प्रार्थना पत्र में हम हमारे पक्ष में निर्णय पारित करवायेंगे तथा निर्णय उपरान्त आपकी कृषि भूमि पर कब्जा करेंगे। प्रार्थी को यह आशंका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 02 के दबाव में आकर प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही फैसला कर देगा। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने तथा प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा साक्ष्य स्वरूप मौका रिपोर्ट व नक्श प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए लगभग छः से अधिक समय हो चुका है। उक्त प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है। प्रार्थी जानबूझकर प्रश्नगत प्रकरण को लम्बित रखने तथा प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण पर जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार एवं मनघडंत है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 02 पर लगाये गये आक्षेप पूर्णतया निराधार व झूठे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में

विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया गया है जो वास्ते प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी में जवाब की स्टेज पर है। वाद पत्र अभी तक अन्तिम निस्तारण की स्थिति में नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध जो आक्षेप अंकित किये गये है उनके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के स्थानान्तरण के बिन्दु पर विचार किया जाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया के तहत छोटी–छोटी तारीख पेशी देते हुए समुचित कार्यवाही कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 10.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़